


नाम जोड़ने/हटाने के लिए आवेदन पत्र
APPLICATION FORM FOR ADDITION/DELETION



1. सीजीएचएस पहचान पत्र की संख्या :
NO. OF CGHS IDENTITY CARD :
2. सरकारी कर्मचारी का नाम :
NAME OF THE GOVT. SERVANT :
3. कार्यालय/विभाग जिसमें कार्यरत हैं :
OFFICE/DEPARTMENT IN WHICH WORKING :
4. नया नाम जोड़ना/हटाना
NEW ADDITION/DELETION

क्रम संख्या: Sl. No.	नाम Name	जन्म तिथि Date of Birth	संबंध Relation

5. सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF GOVT. SERVANT

नाम :
Name :

अनुभाग :
Section :

दिनांक :
Date :

6. जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम/मुहर
SIGNATURE AND DESIGNATION OF ISSUING AUTHORITY/SEAL

7. चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF MEDICAL OFFICER

नोट: फॉर्म को फोटोग्राफ के साथ तीन प्रतियों में भरकर प्रशासन 1 अनुभाग को जमा करवाएं।
Note: Form must be filled in triplicate along with the photographs and submitted to Administration-1

प्रथम सूची [नियम-5 (3)] नामित करने का प्रपत्र

व्यक्तिगत संख्या/Personal ID :

लेखा संख्या/Account No. :

मैं एतद्वारा अपने भविष्य निधि खाते में जमा हुई, नीचे दर्शायी गयी राशि को प्राप्त करने के लिये मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उक्त राशि को देय हो जाने के पूर्व अथवा देय होने पर परन्तु भुगतान न होने की स्थिति में निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूँ जो सामान्य भविष्य निधि केन्द्रीय सेवायें, नियमावली- 1960 के नियम- 2 में दी गयी परिवार की परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का/के सदस्य हैं/या नहीं हैं।

I,..... hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/ non member(s) of my family as defined in Rule 2 of the general provident Fund (Central Services) Rules 1960 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम तथा पूरा पता Name and full address of nominee(s)	अभिदाता से सम्बन्ध Relation with the subscriber	नामित व्यक्ति/व्यक्तियों की उम्र Age of the nominee(s)	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश Share Payable to each nominee	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जायेगा Contingencies on the happening of which nomination will become invalid	व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम यदि हों तो जिनके पास नामित व्यक्ति नहीं है अभिदाता से पूर्व मृत्यु हो जाने पर चला जायेगा Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber	यदि नामित व्यक्ति नियम के अनुसार परिवार का सदस्य नहीं है तो कारण स्पष्ट करें If the nominee is not a member of the family as provided in Rule 2, indicate the reasons

दो गवाहों के नाम और पता
Name of two witnesses and Address

हस्ताक्षर
Signature

- 1.
- 2.

दिनांक/Date.....माह/Month.....वर्ष/Year.....स्थान/Place.....

अभिदाता के हस्ताक्षर/Signature of Subscriber.....

नाम स्पष्ट अक्षरों में/Name in Block Letters.....

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा नामांकननाम.....नामांकन की तिथि तथा पावती.....

Nominated by Shri/Smt/kr.....Name.....Date of nomination and acknowledgement.....

कार्यालयाध्यक्ष/वेतन एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Head of the office/ Pay and Accounts Officer

पदनाम/Designation.....
दिनांक/Date.....

अभिदाता के लिए निर्देश/Instructions for Subscriber :-

- (क) अपना नाम भरें
Fill in your name
- (ख) निधि का नाम उपर्युक्त तरीके से पूरा करें
Complete the name of the Fund as above
- (ग) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें- नियमावली- 1960) में की गयी परिवार शब्द की परिभाषा नीचे दी जाती है :-
The Definition of the term family as given in the general Provident Fund (Central Services Rules 1960) is given below: -

परिवार में :-

- (i) पुरुष अभिदाता के प्रकरण में अभिदाता की पत्नी या पत्नियाँ, अभिभावक, संतानें, नाबालिग भाई, आविवाहित बहनें, अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं तथा बच्चे आते हैं, तथा जहाँ पर अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उनके दादा-दादी यदि जीवित हैं, आते हैं, परन्तु यदि अभिदाता यह सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से अलग हो चुकी है, या यह कि उसकी पत्नी उस समुदाय के विधान भरण-पोषण की हकदार नहीं रह गयी जिसकी वह है, उन प्रकरणों में अभिदाता के परिवार की सदस्य नहीं मानी जाएगी यह नियम समबन्धित है, जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप से लेखाधिकारी को यह नहीं सूचित कर देता कि यह उनके परिवार की सदस्य मानी जाए।

In the case of a male subscriber, the subscriber's wife or wives, guardians, children, minor brothers, unmarried sisters, widow or widows and children of the deceased subscriber, and where the subscriber's parents are not alive, their grandparents, if alive. However, if the subscriber proves that his wife is judicially separated from him or that his wife is no longer entitled to legal maintenance of the community to which she belongs, she shall not be considered a member of the subscriber's family in such cases unless the subscriber subsequently informs the Accounts Officer in writing that she should be considered a member of his family.

- (ii) स्त्री अभिदाता के प्रकरण में अभिदाता के पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, आविवाहित बहनें, अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे आते हैं, परन्तु यदि अभिदाता लेखाधिकारी को लिखित रूप से यह इच्छा प्रकट करती है, कि उसके पति को उसके परिवार से अलग माना जाए तो इन नियमों से संबंधित प्रकरणों से पति को अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जायेगा जब तक कि अभिदाता ऐसी सूचना को लिखित रूप से निरस्त नहीं कर देती।

In the case of a female subscriber, the subscriber's husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, and the widow or widows and children of the subscriber's deceased son are included. However, if the subscriber expressly wishes to the Accounts Officer that her husband be treated as a separate member of the family, the husband will not be considered as a member of the subscriber's family for the purposes of these rules unless the subscriber revokes such notification in writing.

टिप्पणी:-सन्तान का तात्पर्य वैध सन्तान से है और जहाँ अभिदाता के व्यक्ति विधि द्वारा गोद लिया जाना मान्य है, इस परिभाषा में गोद ली गयी सन्तान भी आती है।

Note: "Children" means legitimate children, and where the express adoption of the subscriber is valid, this definition also includes adopted children.

स्तम्भ-4 यदि एक ही व्यक्ति नामित किया जाता है तो उसके नाम के आगे "कुल" शब्द लिख देना चाहिये। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किये गये हों तो प्रत्येक व्यक्ति को सम्पूर्ण राशि के देय अंश निर्दिष्ट कर देना चाहिये।

Column 4: If only one person is nominated, the word "Total" should be written before his/her name. If more than one person is nominated, the share payable to each person of the total amount should be specified.

स्तम्भ-5 नामित व्यक्ति / व्यक्तियों की मृत्यु को आकस्मिकता के रूप में इस स्तम्भ में उल्लिखित नहीं किया जाना चाहिये।

Column 5: The death of the named person(s) should not be mentioned in this column as an accident.

अंतिम प्रविष्ट के नीचे रिक्त स्थान के आर-पार एक लाईन खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद कोई अन्य नाम प्रविष्ट न किया जा सके।

Draw a line across the blank space below the last entry so that no other name can be entered after you have signed.

टिप्पणी:-यदि नामित करते समय अभिदाता का कोई परिवार न हो और बाद में उसका परिवार हो जाता है तो प्रकरण में उसका नामांकन अमान्य हो जायेगा।

Note: If the subscriber does not have a family at the time of nomination and later acquires a family, his nomination will be invalid.